

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण
निगम लिमिटेड

Rajasthan Police Housing &
Construction Corporation Ltd.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(A Government of Rajasthan Undertaking)



तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन
3rd ANNUAL REPORT
2015-16

अनुक्रमणिका

शीर्षक	पृष्ठ सं.
निदेशक मण्डल	4
वार्षिक साधारण सभा की सूचना	6
निदेशकों का प्रतिवेदन	12
परियोजनाएँ	44
स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	46
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ	80



CONTENTS

Title	Page No.
BOARD OF DIRECTORS	5
ANNUAL MEETING NOTICE	7
DIRECTORS REPORT	13
PROJECTS	45
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	47
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT	81

निदेशक मण्डल

श्री मनोज भट्ट
अध्यक्ष
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

श्री ए. मुखोपाध्याय
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान सरकार

श्री डी.बी.गुप्ता
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
प्रमुख सचिव, पीडब्लूडी, राजस्थान सरकार

श्री अजीत सिंह
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
महानिदेशक, कारागार

श्री सुरेश चन्द्र दिनकर
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
सचिव, वित्त विभाग (व्यय), राजस्थान सरकार

श्री भूपेन्द्र कुमार दक
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
निदेशक, भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो

श्री मोहन लाल लाठर
प्रबंध निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस आवासन

कम्पनी सचिव :
सीमा अग्रवाल एण्ड एसोशिएट्स
वैधानिक अंकेक्षक :
गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स

BOARD OF DIRECTORS

Shri Manoj Bhatt,
Chairman, RPHCCL,
DGP, Rajasthan .

Shri A. Mukhopadhaya,
Director RPHCCL,
Addl. Chief Secretary, Home.

Shri D.B. Gupta,
Director RPHCCL,
Principal Secretary, PWD.

Shri Ajit Singh,
Director, RPHCCL,
DG, Jail.

Shri Suresh Chandra Dinker,
Director RPHCCL,
Secretary Finance Dept. (Expenditure)

Shri Bhupendra Kumar Dak,
Director RPHCCL,
Director, ACB .

Shri MohanLal Lather,
Managing Director, RPHCCL,
ADG, Police Housing.

Company Secretary :
Seema Agrawal & Associates.

Statutory Auditors:
Garg Narendra & Associates.

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर
पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, कमरा संख्या 105, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी,
जयपुर-302015

संख्या: 400

दिनांक 19.08.2016

मीटिंग सूचना

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यों की तृतीय वार्षिक साधारण सभा का आयोजन महानिदेशक पुलिस का चैंबर, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में मंगलवार, 27 सितम्बर, 2016 को सांय 3 बजे निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये नियत किया गया है।

सामान्य व्यवसाय

1. वर्ष 2015-16 के कम्पनी के अंकेक्षित वार्षिक लेखों (31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र एवं उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण के साथ उनसे संलग्न लेखों पर टिप्पणियां एवं रोकड प्रवाह)के साथ उन पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को प्राप्त, विचारित एवं अंगीकृत करना।
2. निम्नलिखित संकल्प को यथा साधारण संकल्प के विचारित, यदि उचित समझा जाये, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

संकल्प किया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर को यथा कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति को एतद्द्वारा उनके स्वीकृति पत्र के अधीन, पुष्टि की जाती है और मंजूरी दी जाती है।

आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये वैधानिक अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक को नियत करने एवं कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति को प्रभावी करने के लिये सभी कार्य,



**RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION
CORPORATION LIMITED**

IG POLICE HEADQUARTER, ROOM NO. 105, POLICE HEAD QUARTERS, LAL
KOTHI, JAIPUR 302015

NO. : 400

Meeting notice

Date : 19.08.2016

Notice is hereby given that the third annual general meeting of the members of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited is scheduled to be held on Tuesday, 27th September, 2016, at 3.00 PM at the chamber of Director General of Police, New Police Headquarters, Lal Kothi, Jaipur to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited annual accounts for the year 2015-16 (Balance Sheet as on 31st March, 2016, and Statement of Profit and Loss Account for the year ended on that date, along with Notes on Accounts appended thereto and cash flow statement) together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon.
2. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT the appointment of Statutory Auditors as suggested by the Comptroller and Auditor General of India as the Statutory Auditors of the Company be and is hereby confirmed and approved for the financial year 2016-17, subject to their acceptance letter.

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorized to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors and to do all such acts, deeds and things, as may be necessary

संलेख एवं बातों को, जो आवश्यक एवं प्रासंगिक हो, करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

मण्डल के आदेश से
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के लिये

पंजीकृत कार्यालय
कमरा संख्या 105,
पुलिस मुख्यालय,
लाल कोठी, जयपुर
19अगस्त, 2016

ह0
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक



and incidental, for giving effect to the appointment of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2016-17.

By order of the Board

For Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd

Regd. Office

Room No. 105, Police Head Quarters

Lal Kothi, Jaipur

19th August, 2016

sd

(Mohan Lal Lather)

Managing Director

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर
पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, कमरा संख्या 105, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी,
जयपुर-302015

टिप्पणी :

1. सभा में उपस्थित होने एवं वोट करने के हकदार सदस्य, अपने स्थान पर, उपस्थित होने एवं वोट करने हेतु प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है एवं प्रतिनिधि का सदस्यहोना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत् रूप से पूरा किया हुआ निम्नलिखित प्रतिनिधि का प्रपत्र, सभा के प्रारम्भ होने के अड़तालीस घण्टे पूर्व, न कि उसके पश्चात्, वापिस आ जाना चाहिये।



**RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION
CORPORATION LIMITED**

IG POLICE HEADQUARTER, ROOM NO. 105, POLICE HEAD QUARTERS, LAL
KOTHI, JAIPUR 302015

Note:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not to be a member. In case a proxy is appointed, the following form of proxy should be returned to the Company, duly completed, no later than forty eight hours before the commencement of the meeting.

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कम्पनी के व्यवसाय एवं संचालन पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों के विवरण एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट सहित तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त 12 माह की अवधि है, जिसके लिये संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नलिखित है :

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (रूपये में)	31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (रूपये में)
अन्य आय	143973	192474
वर्ष के लिये व्यय	226777	223883
पूर्वावधि/असाधारण/अपवादात्मक मदें	-	-
वर्ष के लिय कर पूर्व लाभ/(हानि)	(82804)	(31389)
करों के व्यय (शुद्ध)	-	-
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	(82804)	(31389)

कार्पोरेट समीक्षा

1. पुलिसहेतु आवास का निर्माण कार्य

जैसा कि सदस्यों को विदित है कि राजस्थान सरकार ने आवासीय योजनाओं, कार्यालयों, कारागृह, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस, होमगार्ड, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के लिये आवास के निर्माण कार्य का संकल्प किया है

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

DIRECTOR'S REPORT

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the third Annual Report on the business and operations of your Company together with the audited statement of accounts for the year ended on 31st March, 2016, and the Auditors' Report thereon.

FINANCIAL RESULTS

The year under report covers a period of 12 months ended on 31st March, 2016, for which the summarized financial results are as under:

Particulars	For the year ended on 31 st March, 2016 (in Rs.)	For the year ended on 31 st March, 2015 (in Rs.)
Other Income	143973	192474
Revenue expenses for the year	226777	223883
Prior period/ Extraordinary/ Exceptional items	-	-
Profit/ (loss) before Tax	(82804)	(31389)
Tax Expenses (Net)	-	-
Profit/ (loss) after Tax	(82804)	(31389)

CORPORATE REVIEW

1. Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited:

As the members are aware, the Government of Rajasthan (GoR) has resolved to take up Construction work of housing schemes, offices, jails, police stations, police posts, police lines, training institutions, accommodations for employees of police, Home Guard, jails and other personals of Home department, Government of Rajasthan,

और इस कथित कार्य की कार्यान्विति के लिये राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड का यथा राज्य सरकार के उपक्रम के गठन किया है। कम्पनी की परिचालन गतिविधियां वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ नहीं हुई है।

अंशपूंजी एवं वापसी क्रय

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी अंश का वापसी क्रय नहीं किया है।

लाभांश

कम्पनीको वर्ष के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। अतः आपके निदेशक वर्ष 2015-16 के लिये कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

अंकेक्षक द्वारा कपटप्रेषण

इस वित्तीय वर्ष के दौरान अंकेक्षकों द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई कपट की घटनाओं को सूचित नहीं किया गया है।

निदेशक

वर्ष 2015-16 के दौरान, निम्न यथा कम्पनी के निदेशक नियुक्त किये गये:

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की दिनांक
1	श्री भुपेन्द्र कुमार दक, आईपीएस	28 दिसम्बर, 2015

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि –

- वार्षिक लेखे तैयार करने में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।

and the Rajasthan Police Housing Construction & Corporation Ltd. (RPHCC) has been created as an undertaking of the State Government for implementing the said work. The operations of the Company has not been commenced in the year ending 2015-16.

SHARE CAPITAL AND BUY BACK

During this financial year, there has been no change in the authorised and the paid-up share capital of the Company.

Your Company has not done any buy back of shares during the year under review.

DIVIDEND

The Company has incurred loss during the year. Hence your Directors do not recommend any dividend for the year 2015-16.

FRAUD REPORTING BY AUDITOR

During this financial year, no fraudulent events have been reported by the auditor's in their audit report.

DIRECTORS

During the year 2015-16 following were appointed as Directors on the Board of Directors of the Company:

S. No.	Name	Date of Appointment
1.	Shri Bhupendra Kumar Dak, IPS	28 th December, 2015

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company confirms that-

- i. in the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed;

- (ii) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की परिस्थितियों तथा उस अवधिके कम्पनी के लाभ/हानि का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य देने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर समनुरूपता से प्रयुक्त किया एवं निर्णय तथा प्राक्कलन किये, जो युक्तियुक्त व उचित है।
- (iii) कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व प्रकट करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के संधारण का उचित व पर्याप्त ध्यान रखा गया है, तथा
- (iv) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखें चल रहे महत्व के आधार पर तैयार किये गये हैं।
- (v) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणाली प्रकल्पित की है एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से संचालित हो रही थीं।

मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष 2015-16 के दौरान मण्डल की निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार चार बार बैठक हुई हैं।

निक्षेप

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने जनसाधारण से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन आर सी)

कम्पनी (मण्डल बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा निगम कार्यकलाप मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के लिये नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जिसमें 3 या इससे अधिक अकार्यकारी निदेशक होने चाहिये एवं उनमें से स्वतंत्र निदेशक आधे से कम नहीं होने चाहिये, का गठन किया जाना है। तथापि यह इस कम्पनी के मामले में लागू नहीं है।

- ii. the Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;
- iii. the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- iv. the Directors have prepared the Annual Accounts on a going concern basis;
- v. the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD

The Board has met four times during the year 2015-16 to discuss various issues.

DEPOSITS

During the year under review your Company has not accepted any deposits from public.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

Section 178 of the Companies Act, 2013, read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and the Notification dated 5th June, 2015 of Ministry of Corporate Affairs, GoI, NRC has to be constituted for your Company with three or more non-executive directors out of which not less than one half shall be independent directors. However the same is not applicable in our case.

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में, कम्पनी के लिये निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, जिसमें 3 या इससे अधिक निदेशक होने चाहिये एवं उनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिये, का गठन किया जाना है। तथापि यह इस कम्पनी के मामलों में लागू नहीं है।

अंकेक्षण समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में, कम्पनी अंकेक्षण समिति का गठन करेगी। तथापि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये यह इस कम्पनी के मामलों में लागू नहीं है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में इसके आकार के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

ऋणों, प्रत्याभूतियों एवं निवेशों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण, प्रत्याभूति नहीं दी है या निवेश नहीं किया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक पब्लिक कम्पनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक है, पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति करेगी। तथापि यह इस कम्पनी के मामलों में लागू नहीं है।

वार्षिक परिलेख (रिटर्न) का उद्घरण

प्रपत्र एमजीटी-9 में वार्षिक परिलेख का उद्घरण इस प्रतिवेदन के साथ यथा परिशिष्ट-1 के संलग्न है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE

As per the provision of Section 135 of the Companies Act, 2013, a CSR Committee has to be constituted by the Company consisting of Three or more directors out of which at least one director has to be an independent director. However the same is not applicable in our case.

AUDIT COMMITTEE

Pursuant to Section 177 of the Companies Act, 2013, the Company shall form an Audit Committee. However the same is not applicable for the financial year 2015-16 in our case.

INTERNAL FINANCIAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The Company has adequate internal financial control system commensurate with the size of the Company which is adequate and operating effectively.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES AND INVESTMENTS

The Company has not given loans, guarantees and made investments in terms of provisions of Section 186 of the Companies Act 2013.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

For the purposes of Section 203 of the Companies Act, 2013, every public Company having the paid up share capital of more than Rs Ten crore shall appoint whole time key managerial personal. However the same is not applicable in our case.

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Extract of Annual Return in form MGT-9 is annexed as Addendum-1 with this report.

धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संविदाओं अथवा संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाओं का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा की गयी संविदाओं/व्यवस्थाओं के ब्यौरे के प्रकटीकरण से संबंधित सूचना इस कम्पनी के मामलों लागू नहीं है क्योंकि वर्ष 2015-16 में कोई कार्य नहीं किया गया था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(1) के अन्तर्गत प्रकटीकरण

इस प्रतिवेदन की दिनांक एवं वर्ष की समाप्ति के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकें क्योंकि वर्ष के दौरान कोई कार्य नहीं किया गया था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के निबंधनों के अनुसार आरक्षित में अंतरण

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के लिए, कम्पनी ने कोई राशि आरक्षित में अंतरित नहीं की है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है जिसका ब्यौरा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के अन्तर्गत दिये जाने की आवश्यकता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्य प्रकटीकरण

— कम्पनी की कोई समनुषंगी/सहयुक्त कम्पनी नहीं है।

— भविष्य में चालू समुत्थान स्थिति एवं कम्पनी के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सारभूत आदेशों के ब्यौरों को शून्य माना जाये।

**PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTY
REFERRED TO IN SUB-SECTION (1) OF SECTION 188**

Information pertaining to the disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the Company with related parties referred to in Sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013 is not applicable in our case since no work was done in the year 2015-16.

DISCLOSURES UNDER SECTION 134(3)(I) OF THE COMPANIES ACT, 2013

There have been no material changes in commitments that occurred between the end of the year and the date of this report which can affect the financial position of the Company since no work was done during the year

**TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 134(3)(i) OF THE COMPANIES
ACT, 2013**

For the year under report the Company has not transferred any sum to Reserves.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

OTHER DISCLOSURES UNDER THE COMPANIES ACT 2013

The Company does not have any Subsidiary/ Associate Company/Joint Venture etc.

The details of the significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future be treated as NIL.

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के अन्तर्गत, निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की योग्यता, रचनात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामलों से संबंधित नीति के प्रकटीकरण के प्रावधानों के लिए एमसीए अधिसूचना जी.एस.आर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियां छूट प्राप्त है।
- मण्डल मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के लिए भी एमसीए अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियां छूट-प्राप्त है।

सचिवीय अंकेक्षण

सचिवीय अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये इस कम्पनी के मामलों में लागू नहीं है।

वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वैधानिक अंकेक्षकों ने बिना किसी अर्हता के निर्बाध रिपोर्ट दी है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 नियम 8(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 956 की धारा 134(3) (क्यू) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय के विवरण निम्न प्रकार है।

The provisions of disclosure of policy relating to appointment of directors, payment of managerial remuneration, directors' qualification, positive attribute, independence of directors and other related matters under Section 178(3) of the Companies Act, 2013 has been exempted for Government companies as per MCA notification G.S.R. 463(E) dated 5th June, 2015.

The provisions of Section 134(3)(p) relating to Board evaluation are exempted for Government companies as per MCA notification G.S.R. 463(E) dated 5th June, 2015.

SECRETARIAL AUDIT

Secretarial audit is not applicable in our case in the financial year 2015-16.

STATUTORY AUDITORS

Your Directors recommend the appointment of statutory auditors of the Company as per the suggestion made in this behalf by the Comptroller and Auditor General of India.

STATUTORY AUDITORS' REPORT

The statutory auditors have given clean report without any qualification.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The particulars, as required under the provisions of Section 134(3)(q) of the Companies Act, 1956, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, in respect of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo.

इस संबंध में आपके निदेशक प्रस्तुत करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय हेतु सभी संभव कदम उठाये जायेंगे।

ए. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण के लिये सभी संभावित क्षेत्रों में ध्यान रखा जाता है जैसे कि विद्युत, ईंधन एवं ऊर्जा उपभोग में बचत एवं प्रबंधन का निरन्तर अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऊर्जा के अधिकतम संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाया जा रहा है।

बी. प्रौद्योगिकी समावेशन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यापार की जरूरतों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रौद्योगिकी का समावेशन एवं उसी के अनुकूलन की दिशा में प्रबंधन द्वारा निरन्तर और सतत प्रयासों को सुनिश्चित किया गया है।

सी. विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

वर्ष 2015-16 में कोई विदेशी लेन-देन संव्यवहार नहीं हैं।

सजग कथन

मण्डल के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट कथनों में कुछ विवरण भावी समय से संबंधित है अतः प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों के अर्थ के अन्तर्गत दूरदेशी है। तथापि, विभिन्न घटक जैसेकि आर्थिक परिस्थितियां राजकीय विनियमों में परिवर्तन, कर व्यवस्था, अन्य संविधियां, बाजार, बाध्यताएं एवं अन्य सहयुक्ती व प्रासंगिक घटक के कारण वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

मण्डलके निमित्त और के लिये

ह0

(मनोज भट्ट)

अध्यक्ष एवं निदेशक

डीआईएन: 06875196

दिनांक : 28 जून, 2016

स्थान : जयपुर

In this respect, your Directors have to submit that all the possible steps will be taken for conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earning and outgo

A. ENERGY CONSERVATION:

The conservation of energy is taken care of in all possible areas like, saving electricity, fuel and power consumption and receives highest attention of the Management on a continuous basis. Several environment-friendly measures are being adopted by the Company to ensure maximum conservation of energy

B. TECHNOLOGY ABSORPTION:

During the year under review, the management has ensured continued and sustained efforts towards absorption of technology and adaptation of the same to meet business needs and objectives.

C. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

There has been no foreign transaction in the year 2015-16.

CAUTIONARY STATEMENTS

The statements contained in the Board's Report contain certain statements relating to the future and therefore are forward looking within the meaning of applicable laws and regulations. Various factors such as economic conditions, changes in Government Regulations, Tax Regime, other statutes, market forces and other associated and incidental sectors may however lead to variation in actual results.

For and on behalf of the Board

Date: 28th June, 2016
Place: Jaipur

sd
(Manoj Bhatt)
Chairman & Director
DIN: 06875196

निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट-1

प्रपत्र संख्या एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	यू45201आरजे2013एसजीसी043014
ii)	पंजीयन दिनांक	22 जून, 2013
iii)	कम्पनी का नाम	राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
iv)	कम्पनी का प्रवर्ग/उप-प्रवर्ग	अंशों द्वारा लिमिटेड राज्य सरकार की कम्पनी
v)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	कमरा सं. 105, नया पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर 302015 दूरभाष : 2744254
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	शून्य

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त का प्रतिशत
1	आवासीय योजनाओं, कार्यालयों, कारागृह, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस, होमगार्ड, कारागारके कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के लिये आवास के सिविल निर्माण कार्य।		100 प्रतिशत टिप्पणी : वर्ष 2015-16 में प्रचालन से कोई आय नहीं है जैसाकि वर्ष में कार्य शुरू नहीं हुआ है।



ADDENDUM-1 TO THE DIRECTORS' REPORT

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN As on the financial year ended on 31.03.2016

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN	U45201RJ2013SGC043014
ii) Registration Date	22/06/2013
iii) Name of the Company	Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited
iv) Category/ Sub-Category of the Company	State Government Company limited by shares
v) Address of the Registered office and contact details	Room No.105, New Police Head Quarters, Lal Kothi, Jaipur Ph: 2744254
vi) Whether listed company	No
vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product / service	% to total turnover of the company
1	Civil construction work of housing schemes, offices, jails, police stations, police posts, police lines, training institutions, accommodations for employees of police, Home Guard, jails and other personals of Home department, Government of Rajasthan		100% PS: There is no income from operations in 2015-16 as no work has begun in the year.

III. नियंत्रि, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण- शून्य

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्रि/ समनुषंगी/ सहयुक्त	धारित अंशों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1					
2					

IV. अंश धारण पद्धति (कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विघटन)

i- श्रेणीवार अंशधारिता

अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन- प्रतिशत में
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए) संप्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(ए) व्यक्ति/ हिन्दु अविभक्त कुटुंब									
(बी) केन्द्रीय सरकार									
(सी) राज्य सरकार (सरकारें)									
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर			49994	99.98%			49994	99.98%	
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता			1	0.00002%			1	0.00002%	
श्री ए. मुखोपाध्याय			1	0.00002%			1	0.00002%	
श्री अजीत सिंह			1	0.00002%			1	0.00002%	
श्री भुपेन्द्र कुमार दक							1	0.00002%	0.00002%
श्री मोहन लाल लाठर			1	0.00002%			1	0.00002%	
श्री मनोज भट्ट			2	0.00004%			1	0.00002%	0.00002%
(डी) निगमित निकाय									
(ई) वित्तीय संस्थाएँ/ बैंक									
(एफ) अन्य									
उप-योग ए (1)			50000	100%			50000	100%	
2 विदेश									

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES - NIL

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY / ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1					
2					

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)
i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a. Individual/ HUF									
b. Central Govt									
c. <u>State Govt (s)</u>									
Shri Suresh Chandra Dinkar			49994	99.98%			49994	99.98%	-
Sh Devendra Bhushan Gupta			1	0.00002%			1	0.00002%	
Sh A. Mukhopadhaya			1	0.00002%			1	0.00002%	
Sh Ajit Singh			1	0.00002%			1	0.00002%	
Sh Bhupendra Kumar Dak							1	0.00002%	0.00002%
Sh Mohan Lal Lather			1	0.00002%			1	0.00002%	-
Sh Manoj Bhatt			2	0.00004%			1	0.00002%	0.00002%
d. <u>Bodies Corp.</u>									
e. Banks / FI									
f. Any Other									
Sub-total A.(1):-			50000	100%			50000	100%	
(2) Foreign									

(ए)	अनिवासी भारतीय- व्यष्टि							
(बी)	अन्य - व्यष्टि							
(सी)	निगमित निकाय							
(डी)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक							
(ई)	अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)							
	उप-योग ए (2)							
	संप्रवर्तक की कुल अंशधारिता (ए)=ए(1)+ए(2)			50000	100%		50000	100%
(बी)	पब्लिक अंशधारिता							
(1)	संस्थाएं							
(ए)	पारस्परिक निधियां							
(बी)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक							
(सी)	केन्द्रीय सरकार							
(डी)	राज्य सरकार (सरकारें)							
(ई)	जोखिम पूंजी निधियां							
(एफ)	बीमा कम्पनियां							
(जी)	विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता							
(एच)	विदेशी साहसी पूंजी निधियां							
(आई)	अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)							
	उप-योग बी(1)							
2	गैर संस्थाएं							
(ए)	निगमित निकाय							
	i) भारतीय							
	ii) विदेशी							



a. NRIs – Individuals								
b. Other – Individuals								
c. Bodies Corp.								
d. Banks / FI								
e. Other (Specify)								
Sub-total A.(2):-								
Total shareholding of Promoter (A) = A.(1)+A.(2)			50000	100%			50000	100%
B. Public Shareholding								
1. Institutions								
a. Mutual Funds								
b. Banks / FI								
c. Central Govt								
d. State Govt(s)								
e. Venture Capital Funds								
f. Insurance Companies								
g. FIIs								
h. Foreign Venture Capital Funds								
i. Others (specify)								
Sub-total B.(1):-								
2. Non- Institutions								
a. Bodies Corp.								
i) Indian								
ii) Overseas								

(बी)	व्यक्ति								
	i) एक लाख रुपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यक्ति								
	ii) एक लाख रुपये से अधिक अभिहित अंश पूंजी धारक व्यक्ति								
(सी)	अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)								
	उप-योग बी(2)								
	कुल पब्लिक अंशधारिता (बी)= बी(1)+बी(2)								
(सी)	जीडीआर व एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित अंश								
	सर्वयोग (ए+बी+सी)			50000	100%			50000	100%

(ii). संप्रवर्तको की अंशधारिता

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/ विल्लंगमित अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/ विल्लंगमित अंशों का प्रतिशत	
	उपरोक्त (i) के समान							

b. Individuals								
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh								
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh								
c. Others (specify)								
Sub-total (B)(2):-								
Total Public Shareholding (B)=B.(1)+ B.(2)								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs								
Grand Total (A+B+C)			50000	100%		50000	100%	

(ii) Shareholding of Promoters

SI No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledge d/ encum-bered to total	No. of Sha res	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumb-ered to total shares	
			SAME AS (i)					

(iii). संप्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)

क्र. सं.	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण	वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	50000	100%
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)		
	श्री मनोज भट्ट सेश्री भुपेन्द्र कुमार दकको अन्तरित अंश	1	0.00002%
	वर्ष के अन्त में	50000	100%

(iv). शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति (निदेशकों, संप्रवर्तकों तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्त)

क्र. सं.	शीर्ष 10 अंशधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में (या यदि वर्ष के दौरान पृथक हुआ हो तो पृथक्करण की दिनांक को)				

(iii) **Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)**

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	50000	100%	50000	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity, etc.				
	Shares transferred from Sh. Manoj Bhatt to Sh. Bhupendra Kumar Dak	1	0.00002%	1	0.00002%
	At the end of the year	50000	100%	50000	100%

(iv) **Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v). निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	लागू नहीं है।			
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में				

V. ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता
(रूपये करोड़ में)

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त	लागू नहीं है।			
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिता में परिवर्तन				
—अभिवृद्धि				
—कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणिता				

**(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NOT APPLICABLE			
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

Rs. in Crores

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year	NOT APPLICABLE			
Addition				
Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				

i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त				
योग (i+ii+iii)		शून्य		शून्य

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम				कुल राशि
1.	सकल वेतन (ए)आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य (सी)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले में लाभ			लागू नहीं है।		
2	स्टाक विकल्प					
3	स्वेट साम्या					
4	कमीशन —यथा लाभ का प्रतिशत —अन्य,					
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें					
	योग (ए)					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					



i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not				
Total (i+ii+iii)		NIL		NIL

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WT D/ Manager	In Rupees			Total Amount
		NOT Applicable				
	Total (A)					
	Ceiling as per the Act					

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक —मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क —कमीशन —अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।					
	योग (1)					
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक —मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क —कमीशन —अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।					
	योग (2)					
	योग (बी)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतमसीमा					

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक(राशि रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम			
1	सकल वेतन				
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन				
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य	लागू नहीं है।			
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ				
2	स्टाक विकल्प				
3	स्वेट साम्या				
4	कमीशन —यथा लाभ का प्रतिशत —अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें				
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें				
	योग				



B. Remuneration to other directors:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
1.	Independent Directors · Fee for attending board committee meetings · Commission · Others, please specify					
	Total (1)					
2.	Other Non-Executive Directors · Fee for attending board committee meetings · Commission · Others, please specify					
	Total (2)					
	Total (B)=(1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

In Rupees

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961				
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	Not Applicable			
2.	Stock Option				
3.	Sweat Equity				
4.	Commission - as % of profit - others, specify...				
5.	Others, please specify				
	Total				



7. शास्तियां / दंड / अपराधों का प्रश्मन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति / दंड / अधिरोपित प्रश्मन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देवे)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दंड					
प्रश्मन					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड					
प्रश्मन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
प्रश्मन					

मण्डल के निमित्त और के लिये
ह0
(मनोज भट्ट)
अध्यक्ष एवं निदेशक
डीआईएन: 06875196

दिनांक : 28 जून, 2016
स्थान : जयपुर

**VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:**

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/ Court]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. Other officers in default					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board

Date: 28th June, 2016
Place: Jaipur

sd
(Manoj Bhatt)
Chairman & Director
DIN : 06875196



परियोजनाएँ

शून्य



Projects

Nil

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

स्वतंत्र अंकेषकों का प्रतिवेदन

राजस्थान पुलिस आवासन एवं
निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्य
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ-साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एवं स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से सम्पादित किये गये थे।

अंकेषको का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरण पत्रों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और अंकेक्षण मानक एवं ऐसी विषय वस्तु जो अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, को विचार में लिया है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करें एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अनुपालन सम्मिलित है। चाहे कपट या त्रुटि के कारण, सारवान् अयथार्थ विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित अंकेषकों के निर्णय पर, प्रक्रियाओं का चयन निर्भर करता है। उन जोखिमों का निर्धारण करने में, अंकेषक अंकेक्षण प्रक्रिया जो कि उन परिस्थितियों में उचित है, की योजना तैयार करने में कम्पनी का वित्तीय विवरणों के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण एवं तैयारी से संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का विचार करते हैं। अंकेक्षण में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखा प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।



Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Board of Directors of

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of M/s **Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.** ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2016** and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

अभिमत

हमारे उपरोक्त 'विशेषित अभिमत हेतु आधार' के पैरा में वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को चाही गई रीति से उपलब्ध कराते है तथा भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है।

- (ए) 31 मार्च, 2016 को कम्पनी के कार्यकलाप की परिस्थिति पर तुलन-पत्र के मामले में।
 (बी) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि के "लाभ व हानि खातों" के मामलों में।
 (सी) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के रोकड़ प्रवाह के "रोकड़ प्रवाह विवरण" के मामलों में।

अन्य विधिक एवं विनियमाक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेषक का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है एवं कार्पोरेशन की लेखा पुस्तकों तथा अभिलेखों जिन्हें हमने उपयुक्त माना, की ऐसी जांच के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक में कथन किया है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर कम्पनी की पुस्तकों एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा उचित समझी गयी जांच तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के आधार पर, हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार रिपोर्ट "अनुलग्नक-बी" में संलग्न कर रहे हैं।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम वर्णन करते है कि –

(ए) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(बी) हमारे मत में, जहां तक इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है, हमारे विचार में विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की उचित पुस्तकों को रखा गया है।

(सी) इस प्रतिवेदन में व्यावहारित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों की अनुरूपता लिये हुये है।

(डी) हमारे अभिमत में, पूर्वकथित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

(ई) जैसा हमें सूचित किया गया है, कम्पनी आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को तैयार करने और इसकी प्रभावशील सक्रियता को लागू करने हेतु प्रक्रियाधीन है, क्योंकि यह इसका तृतीय वर्ष है एवं इस तरह इसकी संचालन गतिविधियां अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है।

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at **March 31, 2016**
- b) in the case of the Statement of Profit & Loss, of the Loss for the year ended on that date; and
- c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirement

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ('the Order') issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We are enclosing our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the "Annexure A" on the directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid financial statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - (e) As reported to us the company is in process to prepare and implement the internal financial control system for its effective operation as this is the third year and as such no operations have yet been commenced.

(एफ) 31 मार्च, 2016 को निदेशक मण्डल के रिकार्ड पर लिया गया निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को यथा निदेशक के नियुक्त होने के लिये निरर्हित नहीं है।

(जी) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- I. कम्पनी में कोई लम्बित मुकदमें नहीं है जिनके प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।
- II. कम्पनी ने प्रचलित कानून या लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा में पूर्वानुमेय हानियां, यदि कोई हो, हेतु प्रावधान किये हैं।
- III. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तान्तरित करने वाली अपेक्षित राशि को हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं है।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी
ह0
(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530

स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.06.2016



- (f) On the basis of the written representations received from the Directors as on **March 31, 2016**, taken on record by the Board of Directors, none of the Directors is disqualified as on **March 31, 2016** from being appointed as a Director in terms of section 164(2) of the Act.

- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i) The Company has no pending litigations that require disclosure.

 - ii) The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts; and

 - iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For GargNarendra& Associates

Chartered Accountants

FRN 008712C

sd

(RakeshTotuka)

Partner

M.No. 070530

PLACE: JAIPUR

DATED: 28 JUN 2016

अंकेषकों के स्वतंत्र प्रतिवेदन का अनुलग्नक

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के पैरा 1 में संदर्भित)

- (i) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में कोई स्थिर आस्तियां नहीं है। अतः आदेश के खण्ड 3(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी कोई इन्वेंट्री वहन नहीं करती है। अतः आदेश के खण्ड 3(ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (iii) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने, अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गये रजिस्टर में आवृत कम्पनियों, फर्मों एवं अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खण्ड (iii)(ए) व (बी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं एवं उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित खण्ड 3(iv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कम्पनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है।
- (v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अर्थान्तर एवं धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कम्पनी अधिनियम, 2015 के अन्य संबंधित प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किये हैं।
- (vi) हमें स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिये समीक्षाधीन अवधि में लागत अभिलेखों को संधारण करना कम्पनी अधिनियम की धारा 148 (1) की धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नहीं किया गया है।
- (vii) वैधानिक बकायों के संबंध में हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के अनुसार –

(ए) कम्पनी साधारणतया प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर एवं अन्य वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवा रही है। तथापि, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

निर्विवादित वैधानिक बकायों यथा प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर एवं अन्य सारभूत वैधानिक देय 31.03.2016 को उनके देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। तथापि, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

(बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के अनुसार, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर की ऐसी कोई बकाया नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है। तथापि, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

- i. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company does not have any fixed assets. Therefore, the provisions of the clause 3(i) of the Order are not applicable to the Company.
- ii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company does not have any inventories. Therefore, the provisions of the clause 3(ii) of the Order are not applicable to the Company.
- iii. According to information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnership or other parties covered in register maintained under section 189 of Companies Act 2013. Accordingly, the provisions of clause 3(iii) (a) to (c) of the order are not applicable to the company.
- iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the provisions of said clause 3(iv) are not applicable to the company since the company has no loan, investment, guarantees and security as per provisions of section 185 and 186 of the companies act 2013.
- v. The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.
- vi. As informed to us, the maintenance of Cost Records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the company.
- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
 - (a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities. However PF, ESI, Sales Tax and Value Added Tax, duty of Customs, duty of Excise are not applicable on the company.

There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable. However PF, ESI, Sales Tax and Value Added Tax, duty of Customs, duty of Excise are not applicable on the company.
 - (b) According to the information and explanations given to us, there were no dues of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess which have not been deposited on account of any dispute. However PF, ESI, Sales Tax and Value Added Tax, duty of Customs, duty of Excise are not applicable on the company.

- viii. हमारी राय में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार बैंकों के बकाया के पुनर्भुगतान में कम्पनी दोषी नहीं रही है। कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है एवं कोई डिबेंचर जारी नहीं किये है।
- ix. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज सहित) एवं सावधि ऋणों द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।
- x. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान न तो कम्पनीसे और न ही कम्पनी द्वारा या इसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट/दुराचार कम्पनी के ध्यान में आया या प्रकट किया गया है।
- xi. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 (xi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।
- xii. हमारी राय में कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।
- xiii. हमारी राय में, संबंधित पक्षकारों से सभी संव्यवहार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन संव्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये है। तथापि वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।
- xiv. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्य डिबेंचर का प्लेसमेंट किया गया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है एवं अतः उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- xv. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर-नकद व्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।
- xvi. हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।



- viii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to banks. The Company has not taken any loan either from financial institutions or from the government and has not issued any debentures.
- ix. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term Loans. Accordingly, the provisions of clause 3 (ix) of the Order are not applicable to the Company.
- x. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- xi. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, no managerial remuneration has been paid or provided thus provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the company.
- xii. In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicable to the Company.
- xiii. In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards. However there is no transaction with the related parties during the year.
- xiv. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- xv. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company.
- xvi. In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company.

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक -बी

(समतिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन परिच्छेद 2 में संदर्भित)

ए. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के संबंध में।

क्र.सं.	निर्देश	टिप्पणी
1	क्या कम्पनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टेदारी के लिये स्पष्ट स्वत्व/पट्टा विलेख है ? यदि नहीं तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टेदारी भूमि जिसके स्वत्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है, का क्षेत्र बतायें।	कम्पनी के पास कोई स्थायी आस्तियां नहीं हैं।
2	क्या ऋणों/उधारों/ ब्याज इत्यादि का कोई अपलेखन/अधित्याग का मामला है। यदि हां तो उनके कारण एवं उनसे प्रभावित राशि अंकित करे।	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।
3	सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से यथा उपहार के प्राप्त आस्तियों एवं तृतीय पक्षों की पास रखी हुई सामग्री के लिये क्या उचित अभिलेखों का संधारण किया गया है।	कम्पनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह0

(राकेश तोतुका)

साझेदार

सं.सं. 070530

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28.06.2016



ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

A. In Respect of directions issued by Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013.

S.No	Directions	Comments
1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.	The company has no fixed assets.
2.	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	No such case.
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.	The company has no inventory.

For GargNarendra& Associates

Chartered Accountants

FRN 008712C

PLACE: JAIPUR

DATED: 28 JUN 2016

sd

(RakeshTotuka)

Partner

M.No. 070530

31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
I. साम्या एवं दायित्व			
(1) अंशधारकों की निधि			
(ए) अंश पूंजी	2	50,00,000	50,00,000
(बी) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(509,875)	(427,071)
(3) गैर-चालू दायित्व			
(ए) आस्थगित कर दायित्व	4	—	—
(4) चालू दायित्व			
(ए) अल्पावधि उधारें		—	—
(बी) अन्य चालू दायित्व	5	5,148,418	18,923
कुल		9,638,543	4,591,852
II. आस्तियां			
(1) गैर-चालू आस्तियां			
(ए) स्थिर आस्तियां			
(बी) गैर-चालू निवेश			
(सी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम			
(डी) अन्य गैर-चालू आस्तियां			
(2) चालू आस्तियां			
(ए) चालू निवेश			
(बी) इन्वेन्ट्री (सम्पत्ति सूची)			
(सी) वसवसायिक प्राप्य			
(डी) नकद एवं बैंक शेष	6	9,567,034	4,563,048
(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	7	43,202	28,804
(एफ) अन्य वर्तमान सम्पत्ति	8	28,307	—
कुल		9,638,543	4,591,852
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		
लेखों पर टिप्पणियां	2 से 15		

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह0
(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.06.2016

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

ह0
(मनोज भट्ट)
निदेशक
डीआईएन : 06875196

ह0
(अजित सिंह)
निदेशक
डीआईएन : 06577546

ह0
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06868493

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

(Amount in Rs)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholder's funds			
(a) Share capital	2	5,000,000	5,000,000
(b) Reserves and surplus	3	(509,875)	(427,071)
(3) Non-Current liabilities			
(a) Deffered tax liability	4	-	-
(4) Current liabilities			
(a) Short-term borrowings		-	-
(b) Other current liabilities	5	5,148,418	18,923
Total		9,638,543	4,591,852
II. ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Fixed assets		-	-
(b) Non-current investments		-	-
(c) Long term loans and advances		-	-
(d) Other non-current assets		-	-
(2) Current assets			
(a) Current investments		-	-
(b) Inventories		-	-
(c) Trade receivables		-	-
(d) Cash and bank balances	6	9,567,034	4,563,048
(e) Short-term loans and advances	7	43,202	28,804
(f) Other Current assets	8	28,307	-
Total		9,638,543	4,591,852
Significant accounting policies	1		
Notes on accounts	2 to 15		

As per our separate report of even date

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

sd
(Rakesh Touka)
Partner
M.No. 070530

sd
(Manoj Bhatt)
Director
DIN : 06875196

sd
(Ajit Singh)
Director
DIN : 06577546

sd
(Mohan Lal Lather)
Managing Director
DIN : 06868493

Place : Jaipur
Date : 28 Jun 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लाभ व हानि खाता विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये	31 मार्च, 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिये
I परिचालन से राजस्व		-	-
II अन्य आय	9	1,43,973	192,494
III कुल राजस्व (I+II)		1,43,973	192,494
IV व्यय :			
वित्तीय व्यय	10	-	1,283
परिचालन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	11	226,777	222,600
कुल व्यय		2,26,777	223,883
V अपवादात्मक एवं असाधारण मर्दे एवं कर के पूर्व लाभ / (हानि)(III-IV)		(82,804)	(31,389)
VI अपवादात्मक मर्दे		-	-
VII असाधारण मर्दे एवं कर पूर्व लाभ / (हानि)(V+VI)		(82,804)	(31,389)
VIII असाधारण मर्दे		-	-
IX कर पूर्व लाभ / (हानि)(VII-VIII)		(82,804)	(31,389)
X कर के व्यय		-	-
XI कर पश्चात् लाभ / (हानि)(IX-X)		(82,804)	(31,389)
XII प्रति साम्या अंश उपार्जन : मूल एवं मन्दित	12	(1.66)	(0.63)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		
लेखों पर टिप्पणियां	2 से 15		

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

ह0
(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.06.2016

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

ह0
(मनोज भट्ट)
निदेशक
डीआईएन : 06875196

ह0
(अजित सिंह)
निदेशक
डीआईएन : 06577546

ह0
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06868493

STATEMENT OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

(Amount in Rs)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2016	For the year ended 31st March, 2015
I. Revenue from operations		-	-
II. Other income	9	143,973	192,494
III. Total revenue (I + II)		143,973	192,494
IV. Expenses:			
Financial Expenses	10	-	1,283
Operational, administrative & other expenses	11	226,777	222,600
Total expenses		226,777	223,883
V. Profit/(Loss) before exceptional & extraordinary items & tax (III - IV)		(82,804)	(31,389)
VI. Exceptional items		-	-
VII. Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (V + VI)		(82,804)	(31,389)
VIII. Extraordinary items		-	-
IX. Profit/(Loss) before tax (VII - VIII)		(82,804)	(31,389)
X. Tax expense		-	-
XI. Profit/(Loss) after tax (IX-X)		(82,804)	(31,389)
XII. Earning per equity share:			
Basic & diluted	12	(1.66)	(0.63)
Significant accounting policies	1		
Notes on accounts	2 to 15		

As per our separate report of even date

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

sd
(Rakesh Touka)
Partner
M.No. 070530

sd
(Manoj Bhatt)
Director
DIN : 06875196

sd
(Ajit Singh)
Director
DIN : 06577546

sd
(Mohan Lal Lather)
Managing Director
DIN : 06868493

Place : Jaipur
Date : 28 Jun 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये	
	विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
ए. संचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह				
कर पूर्व लाभ		(82,804)		(31,389)
जोड़िये : प्रदत्त ब्याज				1,283
		(82,804)		(30,106)
कार्यरत पूंजी प्रभारों के पूर्व संचालन लाभ				
कार्यरत पूंजी में परिवर्तन				
(ए) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	(14,398)		(19,211)	
(बी) अन्य चालू सम्पत्तियां	(28,307)		-	
(सी) चालू दायित्व	5,129,495		(118,613)	
		(5,086,790)		1,37,824
संचालन से नकद की उत्पत्ति		(5,003,986)		(167,930)
प्रदत्त आय कर		-		-
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद की उत्पत्ति		(5,003,986)		(167,930)
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
निवेश गतिविधि में इस्तेमाल शुद्ध नगदी				
सी. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अल्पावधि उधारों में शुद्ध वृद्धि	-		(2,64,690.00)	
प्रदत्त ब्याज	-		(1,283.00)	
अंश पूंजी में शुद्ध वृद्धि		-		(265,973)
वित्तीय गतिविधि में प्रयुक्त शुद्ध नकद		-		(265,973)
शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ए+बी+सी)		5,003,986		(433,903)
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य		4,563,048		4,996,951
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		9,567,034		4,563,048

रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखांकन मानक 3(ए एस-3) प्रवाह विवरण के पैरा 18 के अंतर्गत यथा विहित अप्रत्यक्ष विधि को अंगीकृत करते हुए तैयार किये गये हैं।

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एफ.आर.एन. 008712सी

ह0
(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.06.2016

ह0
(मनोज भट्ट)
निदेशक
डीआईएन: 06875196

ह0
(अजित सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 06577546

ह0
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06868493

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

PARTICULARS	(Amount in Rs)	
	For the year ended 31st March, 2016	For the year ended 31st March, 2015
<u>A. Cash flow from Operating Activities</u>		
Profit before tax	(82,804)	(31,389)
Add: Interest paid	-	1,283
	(82,804)	(30,106)
Operating Profit before Working Capital changes		
<u>Change in working capital</u>		
(a) Short-term loans & Advances	(14,398)	(19,211)
(b) Other Current assets	(28,307)	-
(c) Current Liabilities	5,129,495	(118,613)
	5,086,790	(137,824)
<u>Cash Generated from Operations</u>	5,003,986	(167,930)
Income Tax Paid	-	-
Net cash generated from operating activity	5,003,986	(167,930)
<u>B. Cash flow from Investing Activities</u>		
Net cash used in investing activity	-	-
<u>C. Cash flow from Financing Activities</u>		
Net decrease in Short Term Borrowings	-	(264,690)
Interest Paid	-	(1,283)
Net Cash used in Financing Activity	-	(265,973)
Net Cash Flow (A+B+C)	5,003,986	(433,903)
Opening Cash & Cash Equivalents	4,563,048	4,996,951
Closing Cash & Cash Equivalents	9,567,034	4,563,048

The Cash flow statement has been prepared by adopting the indirect method as prescribed under paragraph 18 of Accounting Standard 3(AS-3) on "Cash Flow Statement".

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

sd
(Rakesh Touka)
Partner
M.No. 070530

sd
(Manoj Bhatt)
Director
DIN : 06875196

sd
(Ajit Singh)
Director
DIN : 06577546

sd
(Mohan Lal Lather)
Managing Director
DIN : 06868493

Place : Jaipur
Date : 28 Jun 2016

सामान्य जानकारी

टिप्पणी संख्या 1.

कम्पनी को सेवारत पुलिस एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के हितों हेतु आवासीय योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये स्थापित किया गया है।

राजस्थान राज्य पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड पुलिस, होमगार्ड, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के आवास के लिये, सड़क मल-व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था के निर्माण और सभी प्रकार के सिविल व विद्युत व अन्य कार्यों सहित भवन निर्माण के कार्य को महत्व देगा।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये कम्पनी ने अपना प्रथम प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में अपना रूप ले लेगा।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(1) वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखांकन के आधार

प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेखें ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत लेखांकन के संभूति आधार पर तैयार किये गये हैं। इन वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में निगम कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी किया गया साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों के साथ सभी सारवान पहलुओं की पालना हेतु तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से उन्मथा संदर्भित नहीं हैं, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के सुसंगत हैं।

(2) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार करने के लिये, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित राशि एवं समाश्रित दायित्वों के प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान परिचालनों के परिणाम को प्रभावित करने वाले घटकों का पूर्वानुमान एवं आंकलन करना अपेक्षित है। यद्यपि ये प्राक्कलन प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं और कार्यों के उत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, परन्तु वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्रत्येक तुलन-पत्र की दिनांक को प्राक्कलन एवं निहित पूर्वधारणाओं की समीक्षा की जाती है। प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं, मान्यता दी जाती है।

(3) राजस्व मान्यता

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है तथा आय-व्यय के महत्वपूर्ण मदों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता देती है।

(4) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियां, संचित ह्रास और क्षीणता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनके निर्माण के अधिग्रहण की लागत पर वर्णित हैं। तथापि, रिपोर्टिंग दिनांक को कम्पनी के पास कोई मूर्त आस्तियां नहीं हैं।

(5) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों को जब ही मान्यता दी जाती है जब यह संभावित है कि भावी आर्थिक लाभ जो कि आस्तियों से हुआ माना जा सकता है, कम्पनी के लिए होगा तथा आस्तियों की लागत विश्वासपूर्वक परिमाणित की जा सकती है। तथापि, रिपोर्टिंग दिनांक को कम्पनी के पास कोई अमूर्त आस्तियां नहीं हैं।

General Information

The Company is established to formulate and execute housing scheme for the benefit of serving police and other personnel in the Home Department of the Government of Rajasthan.

The Rajasthan State Police Housing and Construction Corporation Ltd. will emphasis the work of construction of building including the construction of roads, sewerage, drainage and all type of civil and electric and other works for the housing of the employees of police, home guards, jails, and other personals in the home department, Government of Rajasthan.

The company has submitted its proposals to attain its objective to the finance department for its kind approval. The same will take its shape in the next financial years.

Significant Accounting Policies

1. Basis of preparation and accounting

The accounts are prepared on the accrual basis of accounting under the historical cost convention in accordance with the applicable accounting standards. These financial statements have been prepared to comply with all material aspects with the accounting standards notified under section 211(3C) of the Companies Act, 2013(the Act) read with the General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013. Accounting policies not specifically referred to otherwise are consistent with generally accepted accounting principles.

2. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed at each Balance Sheet date. Revisions in the estimates are recognized in the periods in which the results are known/materialize.

3. Revenue Recognition

The Company follows mercantile system of accounting and recognizes significant items of income & expenditure on accrual basis. However the company has not yet started its commercial operations.

4. Tangible Assets:

Tangible Assets are stated at their cost of acquisition of construction less accumulated depreciation and impairment loss, if any. However, the Company has no tangible asset as on the reporting date.

5. Intangible Assets:

Intangible assets are recognized only when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the assets will flow to the Company and the cost of the assets can be measured reliably. Intangible assets are stated at cost less accumulated ammortisation and impairment loss, if any. However, the Company has no intangible asset as on the reporting date.

(6) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल एवं मन्दित अर्जन साम्या अंशधारियों के उपरोप्य अवधि के शुद्ध लाभ या हानि(उपरोप्य करों को घटाने के पश्चात्) एवं अवधि के दौरान बकाया साम्या अंशों की भारित औसत संख्या को विभाजित करके परिकलित है।

प्रति शेयर मन्दित अर्जन, साम्या अंशों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के अन्त में बकाया मन्दन संभाव्य साम्या अंशों के अनुसार परिकलित है।

(7) आय कर

(ए) चालू एवं आस्थगित कर दोनों के लिये कर के प्रावधान किये जाते हैं। चालू आय कर हेतु प्रावधान निर्धारणीय आय के आधार पर चालू कर की दरों से किये जाते हैं।

(बी) आस्थगित आय कर, तुलन-पत्र की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों के मूल कर एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनो हेतु उनकी वहन राशि के मध्य सभी अस्थायी अन्तर पर लिया जाता है।

(सी) आस्थगित कर आस्तियां एवं दायित्वों को उस समय अधिनियमित या तुलन-पत्र की दिनांक को सारतः अधिनियमित कर दर एवं कर कानुनों के अनुसार परिमाणित किया जाता है।

(8) निवेश

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो ऐसे निवेश मूल्य में अस्थाई के अतिरिक्त सूक्ष्मता के लिए, कम लागत प्रावधान पर किये गये हैं। चालू निवेश निम्नतर लागत एवं उर्ध्वतर मूल्य पर किये गये हैं।

(9) नकद (रोकड़) प्रवाह विवरण पर लेखामानक- 3

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष विधि अपनाते हुए तैयार किया गया है जिसमें गैर-नकदी प्रकृति के व्यवहार, पिछले कोई आस्थगन या उपार्जन या भावी ऑपरेटिंग नकद रसीद या भुगतान एवं निवेश करने या वित्त पोषण नकद प्रवाह के साथ सहयुक्त आय अथवा व्यय की मदों के प्रभावों के लिये कर पश्चात् समयोजन किया जाता है। कम्पनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक-पृथक किया जाता है।

(10) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में हस्तगत नकद, बैंक-नकद, पी. डी. खाता एवं एफ.डी. खाता सम्मिलित है।

(11) प्रावधान एवं आनुषंगिक दायित्व

जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमानबाध्यता हो तब परिमाण में अनुमान के पर्याप्त अंश निहित वाले प्रावधानों को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि स्त्रोतों का बाह्य गमन होगा। समाश्रित दायित्वों को मान्यता नहीं दी जाती है परन्तु टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(12) आस्तियों का ह्रासन

प्रतिवेदित दिनांक को यदि स्थिर आस्तियों की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो वहन राशि को वसूली राशि तक कम किया जाता है। वसूली योग्य राशि को शुद्ध विक्रय मूल्य से उच्चतर परिमाणित किया जाता है एवं उपभोगमूल्य भावी रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य द्वारा निश्चित किया जाता है।

(13) व्यापार का अप्रारम्भण

कम्पनी ने अपना व्यापारिक परिचालन प्रारम्भ नहीं किया है इस प्रकार लेखांकन नितियों से तैयार नहीं किया गया है।

6. Earning Per Share

Earnings per equity share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at end of the year.

7. Income Tax

- (a) Provision for tax is made both for current and deferred taxes. Provision for current income tax is made on the current tax rates based on assessable income.
- (b) Deferred Income Tax is provided on all temporary difference, at the balance sheet date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.
- (c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that been enacted or substantially enacted at the balance sheet date.

8. Investments

Long-term investments are stated at cost less provision for diminution other than temporary, if any, in value of such investments. Current investments are valued at lower of cost and fair value.

9. AS-3 on Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit/(loss) after extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on the available information.

10. Cash and Cash Equivalent

Cash and Cash Equivalent comprises of cash and cash at bank, PD account & FD account.

11. Provisions and Contingent Liabilities

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognised but disclosed in the notes.

12. Impairment of Assets

If the carrying amount of fixed assets exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as the higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of future cash flows.

13. Non Commencement of Business Operation

The Company has not yet undertaken any commercial business activities, thus the accounting policies have not been formulated.

अंशपूंजी

टिप्पणी संख्या 2.
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
अधिकृत अंशपूंजी		
प्रत्येक 100 रु. मूल्य के 1,00,000 साम्या अंश	10,00,00,00	1,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 100 रु के 50,000 साम्या अंश	5,000,000	5,000,000
	5,000,000	5,000,000

(2.1) बकायाअंशों की संख्या का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2016 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2015 को अंशों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में साम्या अंश	50,000	50,000
जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	—	—
घटाईये : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा वापस लेने पर निरस्त	—	—
वर्ष के अन्त में साम्या अंश	50,000	50,000

(2.2) अंशों से बद्ध अधिकार, अधिमान एवं निर्बन्धन

साम्या अंश : कम्पनी के एक ही वर्ग के अंश 100/- रुपये के सममूल्य वाले अंश है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश एक वोट करने के अधिकार का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्य अंशों के धारक सभी अधिमान राशि के वितरण पश्चात् शेष रही आस्तियों को उनकी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2.3) कम्पनी के अंशों के 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले अंशधारियों का विवरण

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	धारिता का प्रतिशत	अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	अंशों की संख्या
महामहिम राज्यपाल की ओर से श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (सचिव वित्त व्यय)	99.98	49,994	99.98	49,994
योग	99.98	49,994	99.98	49,994

Share Capital

Note No. 2

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Authorised Share Capital:		
1,00,000 Equity shares of Rs.100/- each	1,00,00,000	1,00,00,000
Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
50,000 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up	50,00,000	50,00,000
	50,00,000	50,00,000

2.1 The reconciliation of the number of shares outstanding as under:

Particulars	As at 31st March, 2016		As at 31st March, 2015	
	No. of Shares		No. of Shares	
Equity Shares at the beginning of the year	50,000		50,000	
Add : Issued during the year	-		-	
Less : Cancelled during the year on buy back of securities	-		-	
Equity Shares at the end of the year	50,000		50,000	

2.2 Right, Preferences and Restrictions attached to shares

Equity Shares : - The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100/- per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. In the event of liquidation, the Equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their share holding.

2.3 The details of shareholders holding more than 5% shares:

Name of Shareholder	As at 31st March, 2016		As at 31st March, 2015	
	% held	No. of Shares	% held	No of Shares
Shri Suresh Chandra Dinkar (Sec. Finance Expenditure) on behalf of his excellency the Governor of Rajasthan	99.98	49,994	99.98	49,994
Total	99.98	49,994	99.98	49,994

आरक्षित एवं अधिशेष

टिप्पणी संख्या : 3
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
लाभ एवं हानि खाता		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	(427,071)	(3,95,682)
वर्ष के लिये लाभ / (हानि)	(82,804)	(31,389)
अन्तिम शेष	(509,875)	(427,071)
योग	(509,875)	(427,071)

आस्थगित कर दायित्व

टिप्पणी संख्या : 4
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
आस्थगित कर दायित्व (ए)	—	—
योग (ए)	—	—
आस्थगित कर आस्तियां (बी)	1,57,551	1,31,964
हानियों को आगे लाये जाने से संबंधित		
योग (बी)	1,57,551	1,31,964
शुद्ध आस्थगित कर दायित्व {(ए)-(बी)}	(1,57,551)	(1,31,964)

भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक-22 "आय पर कर हेतु लेखांकन" के अनुसार कम्पनी ने 1.58 लाख रूपये की आस्तियों पर आस्थगित कर नहीं दिया है, क्योंकि आने वाले वर्षों में कर का क्रेडिट प्राप्त करने की कोई यथार्थ निश्चितता नहीं है।



Reserves and Surplus

Note No. 3

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Profit and Loss Account		
As per last Balance Sheet	(4,27,071)	(3,95,682)
Profit/(Loss) for the year	(82,804)	(31,389)
Closing balance	<u>(5,09,875)</u>	<u>(4,27,071)</u>
TOTAL	<u><u>(5,09,875)</u></u>	<u><u>(4,27,071)</u></u>

Deferred Tax Liabilities

Note No. 4

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Deferred Tax Liability (A)		
	-	-
Total(A)	<u>-</u>	<u>-</u>
Deferred Tax Asset (B)		
Related to carried forward losses	1,57,551	1,31,964
Total(B)	<u>1,57,551</u>	<u>1,31,964</u>
Net DTL [(A)- (B)]	<u><u>(1,57,551)</u></u>	<u><u>(1,31,964)</u></u>

In accordance with AS-22 "Accounting for taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Company has not provided for deferred tax asset of Rs 1.58 lacs, as there is no virtual certainty to get the tax credit in coming years.

अन्य चालू दायित्व

टिप्पणी संख्या : 5
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
राज्य सरकार से अनुदान	5,000,000	—
व्यय हेतु लेनदार	119,843	7,523
अंकेक्षण शुल्क देय	28,575	11,400
योग	5,148,418	18,923

नकद एवं बैंक शेष

टिप्पणी संख्या : 6
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
हस्तगत रोकड़	—	—
बैंक शेष		
चालू खाता (पंजाब नेशनल बैंक में)	167,034	25,63,048
पी/डी खाता	7,000,000	20,00,000
स्थायी जमा खाता	24,00,000	—
योग	9,567,034	4,563,048

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

टिप्पणी संख्या : 7
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
स्रोत पर कर की कटौती	43,202	28,804
योग	43,202	28,804

अन्य चालू आस्तियां

टिप्पणी संख्या : 8
(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	28,307	—
योग	28,307	—



Other Current Liabilities		
Note. No. 5		
(Amount in ₹)		
Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Grant from State Government	50,00,000	-
Creditor for expenses	1,19,843	7,523
Audit fees payable	28,575	11,400
TOTAL	51,48,418	18,923

Cash and Bank Balances		
Note. No. 6		
(Amount in ₹)		
Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Cash in hand		
Balance with banks		
In current a/c (With Punjab National Bank)	1,67,034	25,63,048
P/D a/c	70,00,000	20,00,000
Fixed Deposit A/c	24,00,000	-
TOTAL	95,67,034	45,63,048

Short Term Loans and Advances		
Note. No. 7		
(Amount in ₹)		
Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Tax deducted at source	43,202	28,804
TOTAL	43,202	28,804

Other Current Assets		
Note. No. 8		
(Amount in ₹)		
Particulars	As at 31st March, 2016	As at 31st March, 2015
Accrued Interest on FDR	28,307	-
TOTAL	28,307	-

अन्य आय

टिप्पणी संख्या : 9

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिये
ब्याज की आय	143,973	191,932
विविध शेष-	-	562
योग	143,973	192,494

वित्तीय व्यय

टिप्पणी संख्या : 10

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिये
टीडीएस पर ब्याज	-	1,283
योग	-	1,283

परिचालन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

टिप्पणी संख्या : 11

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिये
प्रशासनिक व्यय		
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	193,000	187,200
अंकेक्षण शुल्क	17,175	11,400
छपाई एवं स्टेशनरी	5,802	-
आरओसी फाइलिंग प्रभार	10,800	24,000
योग	226,777	222,600

11.1 अंकेक्षकों को भुगतान

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये	31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिये
वैधानिक अंकेक्षणों के लिए	17,175.00	11,400.00
योग	17,175.00	11,400.00

Other Income Note. No.9
(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March,2016	For the year ended 31st March,2015
Interest income	1,43,973	1,91,932
Sundry Balance w.back	-	562
TOTAL	1,43,973	1,92,494

Financial Expenses Note. No. 10
(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March,2016	For the year ended 31st March,2015
Interest on TDS	-	1,283
TOTAL	-	1,283

Operational,Administrative and Other Expenses Note. No. 11
(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March,2016	For the year ended 31st March,2015
Administrative Expenses		
Legal and professional fees	1,93,000	1,87,200
Audit fees	17,175	11,400
Printing & Stationery	5,802	-
ROC Filing Charges	10,800	24,000
TOTAL	2,26,777	2,22,600

11.1 Payment to Auditors

Particulars	For the year ended 31st March,2016	For the year ended 31st March,2015
For statutory audit	17,175.00	11,400.00
TOTAL	17,175.00	11,400.00

टिप्पणी संख्या : 12

प्रति अंश अर्जन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
लाभ व हानि खाता के अनुसार कर पश्चात् लाभ	(82,804)	(31,389)
बकाया साम्या अंशों की संख्या	50,000	50,000
प्रति अंश का अंकित मूल्य (रूपये)	100.00	100.00
मूल एवं मन्दित ईपीएस (रूपये)	(1.66)	(0.63)

संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या : 13

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 "सम्बन्धित पक्षकार के प्रकटीकरण" के अनुसार, कम्पनी का संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।

13.1 सम्बन्धित पक्षकारों के नाम एवं उनसे सम्बन्ध

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री मनोज भट्ट
श्री ए. मुखोपाध्याय
श्री अजीत सिंह
श्री मोहन लाल लाठर
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर
श्री भुपेन्द्र कुमार दक

13.2 तथापि संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।

सामान्य टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या : 14

- 14.1 निजी खातों (डेबिट/क्रेडिट), विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष पुष्टीकरण के अधीन है।
- 14.2 बैंक शेषों को यथा लेखा-पुस्तकों के लिया गया है एवं माना गया है।
- 14.3 पत्र दिनांक 18.02.2016 के अनुसार राज्य सरकार से पूंजी व्ययों के प्रयोजनार्थ 50 लाख रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आधार पर इसे यथा चालू दायित्व के व्यवहृत किया गया है। बाद में उपगत व्ययों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जायेगा।

Earnings Per Share (EPS)

Note No. 12

Particulars	F.Y. 2015-16	F.Y. 2014-15
Profit after tax as per Profit and Loss Account	(82,804)	(31,389)
Number of equity shares outstanding	50,000	50,000
Face value per equity share (in ₹)	100.00	100.00
Basic and diluted earning per share (EPS) (in ₹)	(1.66)	(0.63)

Related Party Disclosures

Note No. 13

As per Accounting Standard 18- "Related Party Transactions" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the company is not having any transactions with related parties

13.1 List of related parties and their relationships -

Key Managerial Person
Sh. Manoj Bhatt
Sh. Anirban Mukhopadhaya
Sh. Ajit Singh
Sh. Mohan Lal Lather
Sh. Devendra Bhushan Gupta
Sh. Suresh Chandra Dinker
Sh. Bhupendra Kumar Dak

13.2 However there is no transactions with related Parties.

General Notes

Note No. 14

- 14.1 Balance in personal accounts (Debit/Credit), sundry debtors and creditor are subject to confirmation.
- 14.2 Bank balance has been taken and accepted as per books of accounts
- 14.3 Grant of Rs 50 lacs is received from state government for the purpose of capital expenditure as per letter dated 18.02.2016. On the basis of the letter same is treated as current liability. Later on the basis of expenditure incurred further classification will be done.

टिप्पणी संख्या : 15

सामान्य परिचालन चक्र एवं आस्तियों और दायित्वों का चालू व गैर-चालू में वर्गीकरण

- 15.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार निजी खातों (डेबिट/क्रेडिट), विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष पुष्टीकरण के अधीन है। कम्पनी के व्यापार की प्रकृति इसको परिचालन एबं सूली के आधार पर, कम्पनी ने अपना परिचालन चक्र को 12 माह से कम निश्चित किया है। तदनुसार, आस्तियों एवं दायित्वों का चालू व गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 माह की अवधि विचारित की है।
- 15.2 उपरोक्त सामान्य परिचालन चक्र एवं अनुसूची-III में विहित अन्य मानदण्डों को लागू करते हुये उपरोक्त व्यापार की आस्तियों एवं दायित्वों की चालू एवं गैर-चालू में वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

ह0
(राकेश तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 070530
स्थान : जयपुर
दिनांक : 28.06.2016

ह0
(मनोज भट्ट)
निदेशक
डीआईएन : 06875196

ह0
(अजित सिंह)
निदेशक
डीआईएन : 06577546

ह0
(मोहन लाल लाठर)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06868493

Note No. 15**Normal Operating Cycle and Classification of Assets and Liabilities into Current and Non- Current**

- 15.1 All assets and liabilities are presented as current or non current as per criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of business of the company, its operation and realisation the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months. Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current and non current classification of assets and liabilities.
- 15.2 Assets and Liabilities of the above Business have been classified into Current and Non Current using the above Normal Operating Cycle and applying other criteria prescribed in Schedule III.

As per our separate report of even date

**For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C**

**For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.**

sd
(Rakesh Touka)
Partner
M.No. 070530

sd
(Manoj Bhatt)
Director
DIN : 06875196

sd
(Ajit Singh)
Director
DIN : 06577546

sd
(Mohan Lal Lather)
Managing Director
DIN : 06868493

Place : Jaipur
Date : 28 Jun 2016



मन्त्रमेव जयते

संख्या जीएसएसए-बी/एस-5/एए/आरपीएचसीसीएल/2016-17/के-351/414

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302005

दिनांक 19.09.2016

प्रबंध निदेशक,

राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कक्ष संख्या -105, नया पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।

विषय: राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
जयपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत कम्पनी की
वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के
लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अधीन समीक्षा न करने का
“असमीक्षा प्रमाण पत्र” (नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट) जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखें एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात
प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस
कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्तानुसार

ह0

उपमहालेखाकार
(जी.एस.एस.ए.-II)



सत्यमेव जयते

No. GSSA-B/S-5/AA/RPHCCL/2016-17/K-351/414

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL AND SOCIAL SECTOR AUDIT) RAJASTHAN
Janpath, Jaipur-302005

Date 19.09.2016

Managing Director,
Rajasthan Police Housing & Construction
Corporation Ltd., Jaipur,
Room No. 105, Raj. Police Headquarter,
LalKothi, Jaipur.

Subject : Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the
Accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.,
Jaipur for the year ended 31 March, 2016.

Sir,

Under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 I am directed to submit before
the Annual General Meeting, the comments of the Comptroller and Auditor General of India,
under section 143(6)(a) on the Accounts of Rajasthan Police Housing & Construction
Corporation Ltd. for the year ended 31 March, 2016.

Seven copies of financial statement & auditing report as may be placed and accepted
in the Annual General Meeting, may be sent to this office at the earliest possible.

Yours,

sd

Dy. Accountant General
(G.S.S.A.-II)

Enclosed : as above

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व उन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित किये गये लेखा परीक्षण व आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित मत व्यक्त करने का है। उनके द्वारा ऐसा किया जाना उनकी अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28 जून, 2016 में वर्णित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के निमित्त, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखों की अनुपूरक अंकेक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है और इस तरह कम्पनी अधिनियम, 143 के धारा 6(बी) के अन्तर्गत कोई टीका-टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के लिए व निमित्त

स्थान :- जयपुर
दिनांक :- 19.09.2016

ह0
(आर.जी.विश्वनाथन)
प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले प.)
राजस्थान, जयपुर

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, JAIPUR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016.

The preparation of financial statements of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28th June 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31 March 2016 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Place: Jaipur
Date: 19.09.2016**

**sd
(R.G.Viswanathan)
Principal Accountant General (G&SSA)
Rajasthan, Jaipur**

